भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2414

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

कर चोरी रोकने में जीएसटी ऑटोमेशन के लाभ

2414. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ाने और कर चोरी को कम करने में जीएसटी ऑटोमेशन, फेसलेस आयकर निर्धारण और ई-इनवॉइसिंग के लाभों का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सुधारों ने बेहतर राजस्व सृजन के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता में अंशदान दिया है और व्यापक स्तर पर अवसंरचना, कल्याण और पूंजीगत व्यय कार्यक्रमों की सहायता की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कर अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए एआई-आधारित करदाता जोखिम प्रोफाइलिंग, ब्लॉकचेन-सक्षम चालान सत्यापन और डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाने जैसे और उपायों का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये सुधार भारत के संप्रभु ऋण परिदृश्य, निवेशक विश्वास और बृहद् आर्थिक मूलतत्वों को बेहतर बनाने में सहायक रहे हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का अनुपालन को सुगम बनाने और अर्थव्यवस्था के व्यापक औपचारिकीकरण के संवर्धन के लिए एमएसएमई और स्टार्ट-अप के लिए कर प्रक्रिया को और सरल बनाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल और ई-इनवॉइसिंग प्रणाली (जीएसटी कॉमन पोर्टल के तहत इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी - आईएफएफ) ने कर प्रशासन में पारदर्शिता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। इनवॉइस डेटा के वास्तविक समय में कैप्चर होने से आपूर्तिकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं के बीच सूचनाओं का बेमेल कम हो जाता है, जिससे कर चोरी की गुंजाइश कम हो जाती है। आपूर्तिकर्ता की कर देयता का प्राप्तकर्ता के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के साथ स्वचालित मिलान से अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है। ई-इनवॉइसिंग के चरणबद्ध कार्यान्वयन ने मैनुअल इनवॉइस तैयार करने को समाप्त कर दिया है, त्रुटियों को कम किया है और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के साथ निर्बाध डेटा एकीकरण को सुगम बनाया है। कुल मिलाकर, स्वचालन ने पूर्व-भरे रिटर्न, सरलीकृत आईटीसी समायोजन और वास्तविक समय सत्यापन के माध्यम से करदाताओं पर अनुपालन बोझ को कम कर दिया है।

(ख) से (घ): सरकार के कर प्रशासन सुधारों - जिनमें जीएसटी स्वचालन, फेसलेस आयकर निर्धारण और ई-इनवॉइसिंग शामिल हैं - ने भारत की व्यापक आर्थिक बुनियाद को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ किया है। इन उपायों ने राजस्व उछाल को बढ़ाया है, संग्रह की पूर्वानुमान में सुधार किया है, और कर आधार को व्यापक बनाया है, जिससे मध्यम अवधि के राजकोषीय अनुशासन का समर्थन हुआ है। इन उपायों ने राजकोषीय पारदर्शिता को भी मजबूत किया है और बजटीय लक्ष्यों के अधिक विश्वसनीय अनुपालन को सक्षम किया है, जिससे निवेशकों के आत्मविश्वास में सुधार और एक अधिक अनुकूल संप्रभु ऋण दृष्टिकोण में योगदान हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप हाल के दिनों में तीन रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत की संप्रभु रेटिंग में सुधार हुआ है। राजकोषीय समेकन के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता इन रेटिंग सुधारों में एक महत्वपूर्ण कारक रही है। संप्रभु रेटिंग एजेंसियों और बहुपक्षीय संस्थानों ने लगातार मजबूत कर अनुपालन, डिजीटल प्रणालियों और स्थिर सार्वजनिक वित्त और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बनाए रखने में नीतिगत निश्चितता के महत्व पर प्रकाश डाला है। राजस्व के बेहतर संग्रहण से 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% और केंद्र सरकार के व्यय के 15.6% से पूंजीगत व्यय के लिए बजटीय आवंटन को 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.1% और केंद्र सरकार के व्यय के 22.1% तक बढ़ाने में मदद मिली है।

जीएसटी पंजीकरण में जोखिम सत्यापन और स्वचालित रिफंड की प्रक्रिया के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है ताकि उच्च जोखिम वाले पंजीकरण और संदिग्ध रिफंड दावों की पहचान की जा सके। आपूर्तिकर्ता के बाहरी आपूर्ति और प्राप्तकर्ता की आंतरिक आपूर्ति के बीच वापसी विसंगतियों का पता लगाने के लिए ई-इनवॉइस डेटा विश्लेषण का उपयोग किया जा रहा है। चक्रीय व्यापार, धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) और रिफंड दावों सहित धोखाधड़ी प्रथाओं की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कर अनुपालन मजबूत होगा और कर चोरी कम होगी।

(ङ): भारत सरकार, एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए कर प्रक्रिया को और सरल बनाने, अनुपालन को आसान बनाने और अर्थव्यवस्था के व्यापक औपचारिकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है:

i. वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़ी इकाइयों के लिए जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण हेतु वार्षिक कारोबार की सीमा, जो पहले 20 लाख रुपये थी, को 1 अप्रैल, 2019 से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई है (कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर)। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उपरोक्त सीमा से कम कारोबार करने वाली ऐसी छोटी इकाइयों को जीएसटी अनुपालन की आवश्यकता नहीं है और ऐसी इकाइयों को उक्त सीमा तक कारोबार करने पर किसी जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

ii. संरचना योजना के तहत वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा, जो पहले 75 लाख रुपये थी, को 1 अप्रैल, 2019 से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है (कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर)। संरचना योजना के तहत ऐसे करदाताओं को वार्षिक आधार पर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, जिससे उनके अनुपालन का बोझ काफी कम हो जाता है।

iii. त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने और मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) की एक योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले छोटे करदाताओं के पास मासिक रिटर्न के बजाय त्रैमासिक आधार पर रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है।

iv. करदाताओं के लाभ के लिए एसएमएस के माध्यम से शून्य जीएसटी मासिक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

v. छोटे करदाताओं को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ईसीओ) के माध्यम से वस्तुओं की आपूर्ति करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन, ईसीओ के माध्यम से वस्तुओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता को दिनांक 01.10.2023 से समाप्त कर दिया गया है।

vi. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में धारा 128ए शामिल की गई है, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए, ऐसे मामलों में जहां करदाता दिनांक 31.03.2025 तक नोटिस में मांगी गई कर की पूरी राशि का भुगतान करता है, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी मांग नोटिस के लिए ब्याज और दंड की छूट दी गई है।

vii. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 107 और धारा 112 में संशोधन किया गया है, ताकि जीएसटी के तहत अपील दाखिल करने के लिए आवश्यक पूर्व-जमा राशि को कम किया जा सके।

viii. पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, एक वैकल्पिक सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण योजना शुरू की गई है, जिसमें कम जोखिम वाले आवेदकों और उन आवेदकों के मामले में आवेदन जमा करने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर स्वचालित आधार पर पंजीकरण प्रदान किया जाएगा, जो अपने स्वयं के आकलन के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि पंजीकृत व्यक्तियों को आपूर्ति पर उनकी आउटपुट कर देयता 2.5 लाख रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगी। इसे दिनांक 01.11.2025 से कार्यान्वित किया गया है।

******